[Mr. Deputy Chairman]

17. Shri Anil Desai

18. Shri Naresh Gujral

19. Shri Nazir Ahmed Laway

20. Shri D. Kupendra Reddy

21. Shri Rajeev Chandrasekhar

with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next Session."

The motion was adopted.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am thankful to the House, and Shri Anil Madhav Dave, the first name in the list, will be the Chairman. I hope that they will complete their work and then come back to the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: And within the stipulated time.

SHRI K. N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I would like to know whether any Member can be changed in future also if the Committee so decides.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it cannot be done. You are not in the list. Your name was there, but with the consent of your Party, it was changed. The Minister did not move your name.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Yes, I know that. I just asked for my information.

The Constitution (One Hundred and Nineteenth Amendment) Bill, 2013

विदेश मंत्री; तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं;

कि भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य क्षेत्रों का बंगलादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपसभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बहुत हिचकोले खा कर आज सदन के सामने आया है। मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस विधेयक के बारे में बताना चाहूंगी।

उपसभापति जी, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, दोनों अलग-अलग राष्ट्र बने, उस समय आज का बंगलादेश— पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय एक रेडक्लिफ अवार्ड आया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा तय की, लेकिन वह अवार्ड लागू नहीं हो सका।

इसके बाद सन् 1971 में एक नये राष्ट्र के रूप में बंगलादेश का जन्म हुआ, जिसके तीन वर्ष बाद, 1974 में, उस समय की प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे इन्दिरा-मुजीब समझौते के नाम से जाना गया। यह वही एग्रीमेंट है।

उपसभापति जी, 1974 से लेकर 2011 तक 37 वर्ष बीत गए, बंगलादेश ने तो उसे अनुमोदित कर दिया, रेटिफाई कर दिया लेकिन भारत की संसद ने उसको रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि जमीन पर जो चिन्हांकन करना था, वह नहीं हुआ था, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। सन् 2011 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह पहल की और वे बंगलादेश गए। वहां पर प्रधान मंत्री शेख हसीना और डा. मनमोहन सिंह जी के बीच में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 'Protocol of 2011' कहा जाता है। उपसभापति जी, उनके उस प्रोटोकॉल के बाद भी 2 वर्ष बीत गये। 18 दिसम्बर, 2013 को यह प्रोटोकॉल बिल के रूप में, इस विधेयक के रूप में, जो आज मैं चर्चा और पारण के लिए रख रही हूँ, इस सदन में प्रस्तुत किया गया। लेकिन, जिस समय यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय इसका बहुत उग्र विरोध हुआ और विरोध करने वाले तीन प्रमुख दल थे—एजीपी, बीजेपी और टीएमसी। इसका कारण यह था कि एजीपी और बीजेपी को लगता था कि इस प्रोटोकॉल में असम के हितों की अनदेखी हुई है और टीएमसी को यह लगता था कि जब इसका प्रभाव पड़ेगा, वह तो पश्चिमी बंगाल पर पड़ेगा, क्योंकि जब जनसंख्या की अदला-बदली होगी, तो वहां लोग आयेंगे। तो उनसे यह पूछा ही नहीं गया, क्योंकि उस जिम्मेदारी का वहन राज्य सरकार नहीं कर सकती, इतना बड़ा खर्चा उसमें होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने भी इसका विरोध किया और एजीपी तथा बीजेपी ने भी विरोध किया। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। उसके बाद लोक सभा भंग हो गयी और उसी के साथ स्टैंडिंग कमेटी भी भंग हो गयी। जब हमारी सरकार 26 मई, 2014 को आयी, तो 1 सितम्बर को कमेटीज़ गठित हुईं और 16 सितम्बर को हमने यह बिल जस का तस स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। मुझे खुशी है और मैं उस स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसमें हमारे राज्य सभा के सांसद भी थे कि मात्र तीन महीने के अन्दर पहली दिसम्बर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन, कमेटी ने हमसे बहुत सी चीजों की अपेक्षा की, कि हम पश्चिमी बंगाल सरकार से बात करें, वह पैकेज तय करें, जो उनको पुनर्वास के लिए चाहिए, हम वहां की law and order situation की जिम्मेदारी लें, वहां enclaves का जो infrastructure है, उसके बारे में बात करें। ऐसी बहुत सी अनुसंशाएँ, बहुत सी सिफारिशें हमें कमेटी ने कीं, लेकिन 19 दिसम्बर को सेशन समाप्त हो गया, तो समय इतना कम था कि हम यह बिल उस समय नहीं ला पाये। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, दूसरे सदन के सदस्य श्री शशि थरूर मुझसे मिले, तो मैंने कहा कि आपने चाहा है कि हम जल्दी बिल लायें, तो मेरा वचन है कि हम बजट सत्र के दूसरे खंड में यह बिल लेकर आयेंगे और मुझे आज खुशी है कि मैं अपने वचन की पूर्ति कर पा रही हूँ और बजट सत्र के दूसरे खंड में यह बिल आपके सामने रख रही हूँ।

उपसभापति जी, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं विदेश मंत्री बनी, तो विदेश मंत्री के तौर पर मेरी पहली यात्रा बंगलादेश की हुई। जब मैं बंगलादेश गयी, वहां के राजनीतिक नेतृत्व से चर्चा की, तो हर किसी ने मुझसे LBA (Land Boundary Agreement) के बारे में बात की। स्वाभाविक था, प्रधान मंत्री श्रीमती शेख हसीना ने बहुत ज्यादा बात की और यह कहा कि डा. मनमोहन सिंह के साथ जो प्रोटोकॉल हमने साइन किया है, आप उसको आगे बढ़ाइए।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

यहां आकर मैंने प्रधान मंत्री जी से चर्चा की, तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसमें जो अनसुलझे मुद्दे हैं, उनको सुलझाओ और आगे बढ़ो। मुद्दे दो ही थे—एक पश्चिमी बंगाल से संबंधित था और दूसरा असम से संबंधित था। तो पश्चिमी बंगाल से जो संबंधित था, उसमें हमने सुश्री ममता बनर्जी से बात की, उनके अधिकारियों से बात की, कई चक्र चर्चा हुई और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी आपस में सहमति बनी। 3,008 करोड़ 89 लाख, यानी 3008.89 crores का एक पैकेज सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से हमें दिया गया, जिसमें 774 crores या समझिए 775 करोड़ ही ऐसा था, जो fixed expenditure था, जो उन enclaves पर होना था, जहां infrastructure बनाना था और Cooch Behar district में, जिले में होना था, जहां infrastructure बनाना था। यह fixed expenditure था, जो होना ही था। लेकिन, बाकी का 2,234 करोड़ परिवर्तनीय था, variable था, क्योंकि इस बीच में सर्वे किया गया था कि कितने लोग आ सकेंगे। उसमें न्यूनतम और अधिकतम की सीमा इतनी ज्यादा अलग थी, वह 3,500 से लेकर 35,000 तक थी, यानी 3,500 लोग भी आ सकते हैं और 35,000 लोग भी आ सकते हैं। तो यह जो पैकेज बना, यह 35,000 को आधार बनाकर बना और यह कहा गया कि जितने-जितने लोग आते जायेंगे, उसी हिसाब से यह पैसा दिया जायेगा, लेकिन कुल पैकेज 35,000 लोगों के आने का जो बना, वह 3008.89 करोड़ का बना। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे का संतोषजनक समाधान हो गया, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। वे स्वयं बंगलादेश गईं और वहां जाकर उन्होंने भी प्रधान मंत्री शेख हसीना से कहा कि मुझे अब किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है, इस बिल को संसद में लाया जा सकता है। अब बचा असम, असम में जैसे मैंने कहा कि एजीपी और बीजेपी का विरोध था, लेकिन इसी बीच एक नई घटना घटी, एक ध्वनि ऐसी भी आई, जिसमें यह लगा कि असम के मुख्य मंत्री भी इसके खिलाफ हैं और उन्होंने यह कहा कि असम की एक इंच भूमि भी जानी नहीं चाहिए। अभी के प्रोटोकॉल के मुताबिक 730 एकड़ जो भूमि इस समय बंगलादेश के पास है, उसमें से 430 एकड़ हमें मिल रही है और 268 एकड़ उनके पास रह रही है, तो उनका ऐसा बयान आया कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम लाएंगे, तो वह हर इंच भूमि उनसे लेकर आएं। मैंने प्रधान मंत्री से यह कहा कि इसका एक सुलझाव हो सकता है कि अभी हम असम को एक तरफ रख कर इस बिल को ले आएं ताकि लगभग 95 परसेंट जो काम है, वह तो हो जाए। बंगलादेश के साथ पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, ये सेटल हो जाएगा और असम को हम renegotiate करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा, होगा, नहीं भी हो सकता, लेकिन renegotiate करने की कोशिश करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि यह ठीक है, तो मैंने कैबिनेट में नोट दिया और यह कहा कि असम को अलग करके हम इस बिल को यहां पारित करवा लें। कैबिनेट ने मुझको इसकी अनुमति दे दी। उसके बाद स्वाभाविक है, चूंकि यह constitution amendment था, इसलिए मैंने सभी पार्टियों से बात करनी शुरू की। मैंने ममता जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे तो पश्चिमी बंगाल से था, वह हो गया। फिर मैंने सीताराम येचुरी जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल से ज्यादा संबंधित थे, फिर मैंने कांग्रेस के नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी से भी बात की, उप-नेता बैठे हैं, आनन्द शर्मा जी से भी बात की और शशि थरूर जी, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे बात की कि आपने जो कहा था, उसमें हम थोड़ा संशोधन असम को बाहर रखने का कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम पूरी पार्टी

का एक पक्ष आपको बताएंगे निर्णय करके। अगले दिन वे दोनों मुझे मिले और उन्होंने यह कहा कि नहीं, जो प्रोटोकॉल साइन हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़िए, पूरे का पूरा लेकर आगे बढ़िए और असम को इसमें से निकालिए मत, असम को शामिल करके इसको कीजिए। कुछ ऐसी ही ध्वनि मुझे बाकी साथियों से मिली, जब उन्होंने कहा कि जब एक बार करना है, तो इकट्ठा ही करिए, क्यों थोड़ा सा भी अलग रखती हैं, इसलिए असम को शामिल कर लीजिए। वहां के मुख्य मंत्री ने, जिनसे यह ध्वनि आई थी कि वह अलग करें, उन्होंने लिखित में एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा और एक पत्र मुझे भेजा, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि आप असम को शामिल करके ही इस प्रोटोकॉल को लेकर आगे बढ़िए। इसके बाद फिर मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की कि सदन की ध्वनि ऐसी आ रही है कि अगर हम लोग इकट्ठे असम को शामिल करके इस बिल को लेकर आएं, तो पारित होने में भी आसानी होगी और सदन की भावना भी अभिव्यक्त ऐसी हो रही है और प्रमुख प्रतिपक्षी दल तो कह ही रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि देखो, जनतंत्र में सदन की भावना जन भावना को ही प्रतिबिम्बित करती है। अगर ऐसा है तो तुमने कैबिनेट में वह जो संशोधन करवाया था, उसको वापस करवा दो और कहो कि बिना संशोधन के असम को शामिल करके लाओगी। मुझे खुशी है, कल सवा दस बजे कैबिनेट की हमारी मीटिंग हुई और वहां से असम को बाहर रखने का जो संशोधन हमने करना चाहा था, वह संशोधन हमने नहीं किया और यह तय किया कि हम असम को शामिल करके ही यहां लाएंगे, तो आज मैं जो बिल लेकर आपके सामने आ रही हूँ, वह बिल मैं कहना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष से और आनन्द भाई से कि वह बिल वही है, जो 18 दिसम्बर, 2013 को यहां आया था। उसमें चार बदलाव हैं, एक बदलाव है, 2013 की जगह 2015 लिखा गया है, दूसरा बदलाव है, भारत गणराज्य का 64वां वर्ष की जगह 66वां वर्ष लिखा गया है, तीसरा बदलाव है, यह 119वां संशोधन था, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि यह सौवां संशोधन होकर पारित हो रहा है। यह सौवां संशोधन है और चौथा बदलाव है, जहां सलमान खुर्शीद लिखा गया था, वहां सुषमा स्वराज लिखा गया है। केवल ये चार बदलाव इसमें आए हैं, बाकी जस का तस बिल जो 18 दिसम्बर, 2013 को आया था, वह बिल वैसे का वैसा मैं पेश कर रही हूँ और यह मैं जरूर कह सकती हूँ कि बंगलादेश से एक पड़ोसी देश के नाते जो हमारे संबंध आज इतने अच्छे हैं, इस बिल के पारित होने के बाद उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जहां 1971 में भारत और बंगलादेश के संबंध थे और वर्षों से लंबित जो सीमा विवाद चला आ रहा था, वह सेटल होगा। यह सेटल होने के बाद एक तो जो undemarcated boundary है, वह demarcate हो जाएगी। जो enclaves एक-दूसरे के पास हैं, भारत के 111 enclaves बंगलादेश में हैं, जो वहां रह जाएंगे, बंगलादेश के जो 51 enclaves भारत में हैं, वे यहां रह जाएंगे और adverse position में यानि अनधिकृत जो कब्जा सबके बीच है, वह पूरे का पूरा सेटल हो जाएगा। यह एक इतनी बड़ी चीज होगी और इतना बड़ा संकेत होगा भारत की तरफ से कि वह अपने— जो सबसे बड़ी चीज होगी, वह यह होगी कि सब लोगों को यह संकेत जाएगा कि भारत पड़ोसी देशों से अपना संबंध ठीक रख रहा है। इसलिए हमारा जो विरोध था उस विरोध को न करते हुए, विपक्ष की बात मानते हुए कल जब मैंने नेता प्रतिपक्ष से यह कहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह तो विन-विन-विन सिचुएशन है। वैसे तो अंग्रेज़ी में win-win कहा जाता है, लेकिन इसमें विन-विन-विन सिचुएशन है कि बंगलादेश भी खुश, विपक्ष भी खुश और आपका बिल भी पारित हो जाएगा।

श्री उपसभापतिः सबके लिए विन-विन।

श्रीमती सुषमा स्वराजः इसी विन-विन-विन सिचुएशन को सामने रखते हुए..

एक माननीय सदस्यः आप भी खुश हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैंने अपने बारे में भी कहा, क्योंकि मेरा तो बिल पारित हो रहा है। वह बिल जो आपकी तरफ से आया था, जिसे आज मैं consideration and passing के लिए पायलट कर रही हूँ, तो मुझे यह लगता है कि मैं बहुत विनम्रता से यह निवेदन करूँ कि हम सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें और यह संविधान संशोधन हमारे संवैधानिक इतिहास में सौवां संशोधन बनकर दर्ज हो जाए। इतना ही कहते हुए आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें।

The question was proposed.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सुषमा जी, जनादेश आपको यूपीए के खिलाफ मिला और सब बिल आप यूपीए के ला रही हैं, यह परिवर्तन कहां से हो गया है? मैं नहीं समझ पाया कि यह परिवर्तन कहां से हो गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Now, hon. Members, the time allotted for this Bill is ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः नरेश जी, मैंने पूरी बात खोलकर रख दी, कोई चीज़ छिपाई नहीं। विरोध क्यों था, यह भी बता दिया। उसी विरोध को सामने रखते हुए असम को अलग भी कर रहे थे, क्योंकि उस विरोध में वहां के मुख्य मंत्री भी जुड़ गए थे, ऐसा पता लगा, लेकिन बाद में—मैंने एक-एक चीज़ खुलकर बता दी है और जितनी पारदर्शिता से इस बिल के बारे में मैंने पृष्ठभूमि रखी है, उसके बाद कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, the time allotted for this Bill is two-and-a-half hours. Since, we have to take other important items from the List of Business also, I would request every Member to adhere to their Party's time. Now, Dr. Karan Singh. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः माननीय उपसभापति जी, एक परम्परा रही है कि यह सदन शाम को 5 बजे तक चलता था, अब तय हुआ कि सदन 6 बजे तक चला करेगा। आज हम लोगों को जो बिजनेस दिया गया है, आप इस बिजनेस के घंटे जोड़ लीजिए, तो शायद 13 तारीख तक जो यह सदन चलेगा, सब काम इसमें आज ही दे दिया गया है। आप यह क्लियर कर दीजिए कि आज कौन-कौन से बिल लिए जाएँगे।

श्री उपसभापतिः वह तो सुबह डिसीज़न लिया गया, आपको मालूम है।

श्री नरेश अग्रवालः यहां पर एक और शंका पैदा हो गई है। ये सब पास कराने के बाद अगर ये फ्राइडे के बाद नहीं चलाना चाहते हैं, तो अभी घोषणा कर देनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In morning, there was a decision in the meeting. This Bill, and there is one more Bill, I think, the Delhi High Court Bill, and after that,

you have to take the discussion. That is all. This Bill, another Bill and discussion. High Court is a small Bill and only for half-an-hour. Now, Dr. Karan Singh.

Dr. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Mr. Deputy Chairman, Sir, today is one of those rare days when we have a unanimity in the House and where there is a lot of goodwill on all sides. Sir, I would congratulate the Government for at last having realised that the Bill that we had introduced two years ago was, in fact, the Bill that was required. And after much indecision and much delay, they have finally come round to that.

Mr. Deputy Chairman, Sir, for any nation defined and secure borders are very necessary. But it is a curious thing that although we have been independent for sixty-eight years, our borders with three of our major neighbours are still undemarcated, until this Bill is passed. With Pakistan, we are undemarcated because they are in unauthorised possession of a large area of the State of Jammu and Kashmir. Therefore, we have an LoC, we do not have a properly demarcated border. With China also, we have a long undemarcated border. Although many rounds of talks have taken place, there is yet no clarity. With Bangladesh now, at last, we have come to a situation where we can actually have borders.

Now, Sir, I am a repository of historical memory. I am the only surviving member of Shrimati Indira Gandhi's Cabinet. When the Bangladesh situation emerged, and it was one of the great achievements, I must say and recall, of Indira Gandhi, which was appreciated even by the Opposition at that time, that she was able to bring about to help the people of Bangladesh, help the *Mukti Bahini* and bring about a new nation on this Subcontinent, I was there for the birth of it. I recall the tremendous sentiments that were aroused at that time. Maybe, after Independence, after 1947, that was the day when the Indians were most delighted because we were able to do something for our brethren in Bangladesh. I stood behind Sheikh Mujib when he made his famous speech in Delhi Cantonment. After that, a lot of things happened. I would not like to go into that.

What I would like to say is this. This is a hangover. As Sushmaji has said, the Radcliffe Award left many gaps. Then there were attempts even during the East Pakistan time. There was Nehru-Noon Agreement. There were various agreements. But they didn't work. It has taken us 44 years after the creation of Bangladesh to finally come to this conclusion. *Der ayad, durust ayad*, as the saying goes.

We are very happy. The whole thing was studied in great detail. It is a very interesting agreement. There are enclaves and there are adverse possessions. Enclave means legally our territory which is lying within Bangladesh and legally the territory of Bangladesh which is lying within India. Adverse possession means

[Dr. Karan Singh]

illegal or unauthorised occupation of our territory by Bangladesh and the territory of Bangladesh by us. Luckily, both these issues have been dealt with in this Bill in great detail. Surveys have been done. We wanted to be assured that if people from those enclaves come, they would be looked after. A provision to that effect has also been included in this Bill. It has tremendous advantages, strategic advantages and security advantages. Psychologically and politically, it shows that given goodwill on both sides, the most difficult of problems can be solved. There is no problem that is actually insolvable. But you have to have goodwill on both sides.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I would suggest one thing here. Sheikh Hasina is there. She has been very supportive. She is a great friend of India. We hope that a day will come when we will be able to sort out these problems with China and Pakistan also so that our borders are secured and demarcated. We really look forward to that day. This is a very major step towards that. I would like to congratulate the whole House for this great achievement and I strongly support this Bill. Thank you, Sir.

श्री दिलीपभाई पंडया (गुजरात): धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सुषमा जी के बाद बोलने की बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने इतने विस्तृत रूप में बात बताई और यह भी बताया कि इससे सभी लोग सहमत हैं। मैं सोचता था कि एल.ओ.पी. खड़े होकर बोलेंगे कि इस पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है और सब वॉइस वोट से पास कर दो, we should not use the time of the House. लेकिन ऐसा है कि सब को कुछ-न-कुछ तो बोलना चाहिए। इसलिए टाइम देना पड़ता है। I recall the day Prime Minister Narendra Modi took oath as the Prime Minister. He invited all the leaders of the neighbouring countries. उसी दिन से सब को आशा हो गई थी कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं। इसको हम अच्छे दिन भी कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम पड़ोसियों के साथ लड़ते रहें और वह भी अच्छे दिन कहें, चाहें। तो आज इसकी शुरुआत है। मैंने एक बार पढ़ा था, जब सरदार वल्लभभाई पटेल होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक खत लिखकर उस समय के प्रधान मंत्री, the whole nation respects him, श्री जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि पाकिस्तान की जितनी चिंता हम कर रहे हैं उससे ज्यादा चीन के साथ बॉर्डर की चिंता करनी चाहिए, लेकिन सरदार पटेल की बात उस समय नहीं मानी गई। आज मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर जब हमारे प्रधान मंत्री चायना की विजिट पर जा रहे हैं तो वहां भी कुछ अच्छा accord होगा और जो बॉर्डर डिस्प्युट चायना के साथ है और हर टाइम एक डर रहता है कि चायना क्या करेगा, चायना क्या करेगा, वह डर भी खत्म हो जाएगा। मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद जी और डिप्टी लीडर आनन्द जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं लेकिन अच्छी बात के लिए अपना सहकार दिया। डा. कर्ण सिंह जी ने अभी बताया कि चलो, एक अच्छी शुरुआत हो गई है और ऐसे दूसरे जो बिल हैं, वे भी इसी तरह एकसाथ मिलकर राष्ट्र के हित में हम काम करेंगे ...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, आप फिर भी बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)... मैं इसी के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल की मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि सुषमा जी ने बताया, उन्होंने भी बहुत positive attitude लिया

है। ...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, आप नहीं मानेंगे, हमारे साथ जो भी लोग रहे, वे अच्छे लोग थे और अच्छे लोग हैं, हम अभी भी ऐसा मानते हैं। इसलिए मैं सदन से अपील करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए और जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि 3 महीने में इस की रिपोर्ट आ गयी और यह रिपोर्ट 1 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गयी। And certain observations made by the Committee are very important and for that, I would go through some of the remarks of the Standing Committee. Para 2.15 of the Report says, "The Committee are of the strong opinion that the Constitution (One Hundred and Nineteenth Amendment) Bill, 2013 is in the overall national interest as it would pave the way for broader bilateral ties with one of our closest neighbours, Bangladesh. The Committee are of a considered opinion that delays in the passage of the Bill have needlessly contributed to the perpetuation of a huge humanitarian crisis. However, the Committee are also sure that the difficulties of the people living in the enclaves of both the countries would come to an end after the Act is passed by the Parliament. The Committee would, therefore, urge the Government to take urgent steps for presenting the Bill to Parliament without any further delay." जैसा कि सुषमा जी ने बताया, हम ने कहा था कि बजट सत्र के दूसरे भाग में हम यह बिल present करेंगे और आज यह बिल आया है। महोदय, यह निश्चित है कि सर्वसम्मति से यह बिल पास होगा, लेकिन इस बिल की जो लंबी यात्रा रही, उसके ऊपर भी एक नज़र डालने की जरूरत है। इसलिए I would like to draw the attention of this House towards the Statement of Objects and Reasons of this Bill. I quote, "India and Bangladesh have a common land boundary of approximately 4,096.7 kms. The India-East Pakistan land boundary was determined as per the Radcliffe Award of 1947. Disputes arose out of some provisions in the Radcliffe award, which were sought to be resolved through the Bagge Award of 1950. Another effort was made to settle these disputes by the Nehru-Noon Agreement of 1958. However, the issue relating to division of Berubari Union was challenged before the Hon'ble Supreme Court. To comply with the opinion rendered by the Hon'ble Supreme Court of India, the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960 was passed by the Parliament. Due to the continuous litigation and other political developments at that time, the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960 could not be notified in respect of territories in former East Pakistan (presently Bangladesh)."

श्री उपसभापति : आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसे पढ़ने की क्या जरूरत है?

श्री दिलीपभाई पंडया : सर, जैसा कि सुषमा जी ने कहा, I saw the long race. Sir, I am also happy to note that.

श्री उपसभापति : यह हमारे पास है।

SHRI DILIPBHAI PANDYA: Sushmaji has said कि हम एक समय इस को oppose कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस को अपोज कर रही थी। असम के बी.जे.पी. के लोग भी

[Shri Dilipbhai Pandya]

oppose कर रहे थे। लेकिन यह हमारी सोच है। हम ऐसे पले हैं, बढ़े हैं। विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं विदेश मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ सारे सदन से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराया जाए। धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, यह जो मेन बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित संशोधन विधेयक आया है, यह कई कारणों से बहुत जरूरी था। हालांकि इस पर शुरू से ही विवाद रहा है, जैसा सुषमा जी ने भी शुरू में ही कहा, चाहे सन् 1947 का रेडक्लिफ एग्रीमेंट हो, चाहे बाद का नेहरू-नून समझौता हो, या उसके बाद का 1974 वाला समझौता हो। इस पर समझौता होना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे टापू ऐसे बन गए हैं, जहां हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, लेकिन चारों तरफ बाउंड्री बंगलादेश की है और उसी तरह जिन टापुओं पर बंगलादेश के लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी चारों तरफ बाउंड्री इंडिया की है। एक तरह से यह बंटवारा बहुत ही अननेचुरल था और इसलिए डिमार्केशन होना तो जरूरी था।

श्रीमन्, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था, उसके बाद से निरंतर हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं। मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी देश के लिए यह सबसे दुखद चीज होती है कि उसकी सीमाएं छोटी हो जाएं। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान दबाए हुए है, चीन हमारी बहुत बड़ी आबादी पर पहले ही कब्जा कर चुका है और आए दिन खुलेआम अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश कहने की बात करता रहता है। जब हमारे देश के प्रधान मंत्री वहां जाने को हों, तब भी उस तरह की बात करता है। रोज ऐसी बातें होती रहती हैं। यह सीमा को लेकर विवाद तो हैं, लेकिन बंगलादेश हमारा एक मित्र देश है। हम लोगों की वजह से, भारत सरकार की वजह से, भारत के सैनिकों की वजह से यह बंगलादेश बना था। इसके लिए हमारे लोगों को भी बहुत बलिदान करना पड़ा था। इस बिल के लिए जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थीं, उसमें आपने राज्य सरकारों का सहयोग ले लिया, समर्थन ले लिया, क्योंकि उनके बिना तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, या वहां की जनता के सहयोग के बिना यह बिल लाया जाता, तब भी गलत होता और मेघालय, त्रिपुरा, असम से भी न पूछा जाता, तब भी गलत होता, क्योंकि सीमाएं तो उन्हीं राज्यों से मिलती हैं। वैसे कुल मिलाकर तो यह देश की सीमा है, लेकिन अफेक्टेड होने वाले जो लोग होंगे, वे उन्हीं राज्यों के होंगे। मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि जो लोग इन टापुओं से, मान लीजिए कि टापू बंगलादेश में हैं, जहां हिन्दुस्तान के लोग हैं, वे बंगलादेश में पहुंच जाएंगे और जो इधर आना चाहेंगे, उनको लाने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? और, जो उधर से इधर आएंगे, उनके लोगों को उधर भेजने की व्यवस्था कैसे करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, जैसे कि 1971 में बंगलादेश से बहुत बड़े पैमाने पर बंगलादेश के लोग यहां आ गए और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वापिस ही नहीं गए। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो टापू हिंदुस्तान की सीमा में आएंगे, जिनमें बंगलादेश के लोग रह रहे हैं, वे वापिस जाएंगे या नहीं जाएंगे? महोदय, जो हिन्दुस्तान के हमारे लोग उधर से आएंगे, उनके रीहैबिलिटेशन की क्या व्यवस्था होगी? मंत्री महोदया, जब आप इस पर हुई बहस का जवाब दें, तब आप जरूर इस बात का उत्तर देने की कोशिश करें। आप एक अच्छा समझौता कर रही

हैं। इससे सीमा पर रोजाना का जो अनावश्यक विवाद होता है, वह खत्म होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शरद यादव (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, इस विषय पर मेरे पूर्व में जो साथी और मित्र बोले और इस विधेयक में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जिन बातों को रखा है, मैं उसमें कोई जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं मानता हूं। यह बहुत स्वागत योग्य काम हुआ है। इस देश की ऐसी त्रासदी है कि यह देश बंट गया। डॉ. राम मनोहर लोहिया, उम्र भर यह प्रयास करते रहे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हम लोग हमेशा से यह महसूस करते रहे हैं कि यह बंटवारा बहुत महंगा पड़ा है। इसमें इतनी जान, माल, सम्पत्ति और सम्पदा चली गई और हम आज भी अपने बजट के एक-तिहाई हिस्से से विदेशों से हथियार खरीदते हैं। उस समय, मैं शायद मैट्रिक में पढ़ता था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब देश ने बंगलादेश पर विजय हासिल की और जिन फौजों ने आत्म-समर्पण किया था, उनके जनरल, जनरल नियाज़ी को जबलपुर में ही रखा गया था।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): श्री शरद यादव जी, तब आप इंजीनियरिंग कर चुके थे।

श्री आनन्द शर्मा (राजस्थान): शरद जी, आप बहुत पीछे हैं। आप याद कीजिए, उस समय आप ग्रेज्युएशन कर चुके होंगे। यहां वर्ष 1971 की बात आप कर रहे हैं।

श्री शरद यादव: आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक याद दिला रहे हैं।

महोदय, जब जनरल नियाज़ी, जबलपुर में बन्द थे, तब हम बड़ी बेचैनी से तलाश करते थे कि कहीं वे दिख जाएं, लेकिन वे हमें दिखे नहीं। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कल्पना की थी कि हिन्दुस्तान के आसपास के इन तीनों देशों का एक महासंघ बन जाए। यह निश्चित रूप से उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है और पूरी सहमति से यह कदम बढ़ाया गया है। इस विषय में आप सभी और पूरे सदन की सहमति होने के कारण मैं मानता हूं कि यह बहुत जरूरी है और हमारा मन और हमारा चित्त भी बंगलादेश के साथ है। हमारे emotions भी बंगलादेश के साथ बहुत गहरे हैं। प्रो. राम गोपाल यादव जी जो बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि उन बातों का जवाब आपकी चर्चा में शरीक था और आप उन्हें पैकेज भी दे रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों देशों के बीच में आज नहीं, तो कल एक महासंघ का निर्माण होना चाहिए।

महोदय, जो फौज पर खर्च हो रहा है, इंसान हमारे, पैसा हमारा और जान हमारी, ऐसी त्रासदी बनी हुई है और बाजू के देश, पाकिस्तान की भी यही हालत है। बायां बाजू गड़बड़ है और दायां बाजू ही ठीक हो रहा है। उसमें आपका, कुमारी ममता बनर्जी और असम के मुख्य मंत्री जी का भी सहयोग है। हमारे डॉ. कर्ण सिंह जी ने तो बहुत विस्तार से बताया और अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने तो यह कहा कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इस विषय पर जरूर बहस होनी चाहिए क्योंकि आज देश-भर के लोग, सबसे ज्यादा इस चैनल को देखते हैं। हमारा इतिहास ही हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए इस पर बहस बहुत जरूरी थी।

सुषमा जी, मैं सोचता हूं कि हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। यह महासंघ की जो कल्पना है, वही इस देश को ऊंचा उठाएगी और दुनिया में यही बात हमारी आर्थिक ताकत को

[श्री शरद यादव]

भी मजबूत करेगी। यह तब तक नहीं होगा, जब तक यह नकली बंटवारा चलता रहेगा। नकली बंटवारा कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि जो बंटवारा हुआ है, उसे मैं नहीं मानता। बंटवारा हो गया है। देश बन गए हैं, लेकिन यह फौज है, यह विदेश नीति है, इस मामले में इनका कोई मतलब नहीं है। तो महासंघ की तरफ यह जो कदम है, डॉ. लोहिया का जो सपना था, हमारे देश के बहुत से लोगों का सपना था, उस सपने की तरफ मैं इसे एक बड़ा समझौता मानता हूं और एक तरह से यह अच्छा रास्ता सरका है। यह सरकता जाए, सरकता जाए और एक दिन महासंघ का यह रास्ता बन जाए, तभी यह देश बनेगा, तभी यह देश उठेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, if we have a look at the Statement of Objects and Reasons of this Constitution Amendment Bill and a quick visit to the history of the past four decades concerning this particular issue, then you would find that, on 16th May, 1974, an Agreement between India and Bangladesh was signed *inter alia* for the demarcation of boundaries and for exchange of 162 enclaves, which was a pre-Independence legacy. Sir, on 28th November, 1974, the Parliament of Bangladesh had ratified the Agreement, whereas the successive Governments in India had failed and neglected the ratification of the Agreement for four long decades, for some inexplicable reasons. However, better late than never.

Sir, from 15th July, 2011, a head count in enclaves on both sides was conducted and it was found that 37,369 people lived in 111 Indian enclaves in Bangladesh and 14,221 lived in 57 enclaves of Bangladesh in India. On 6th September, 2011, a protocol was signed by India and Bangladesh, which has been referred to by the hon. Minister for External Affairs, for exchange of these enclaves and to implement the related matters. Now, Sir, when the Bill was introduced in 2013, my Party, the All India Trinamool Congress, had opposed it. Why? Because the pending social, political and economic issues involved in the matter were neither discussed with the Government of West Bengal at the appropriate level, nor was the concern expressed by the hon. Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, who had been emphasizing this problem for a long time, adequately addressed by the Government of India. All these enclaves are situated within the Cooch Behar district where the separatist agitation is going on for a long time. I need not go to that extent to explain it, but we are all concerned on that.

Sir, it is the assessment of the Government of West Bengal that all the residents of Bangladeshi enclaves in India would opt to remain in India, for two main reasons– they will be displaced from their lands, and for improvement of their position once the enclaves become parts of India. But the residents of Indian enclaves in Bangladesh might move to India even at the cost of displacement due to better

economic opportunities, which is quite human and natural. In this backdrop, our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has urged upon the Central Government to help the State's intervention keeping in view the maximum displacement and to extend material help for implementation of a comprehensive rehabilitation programme which must not be a BPL package but a decent one, a humane one, for which the physical and social infrastructure of these enclaves need to be upgraded.

Sir, keeping this in mind, the Government of West Bengal has urged upon the Central Government that a sum of ₹3,900 crores be granted, out of which ₹2,234 crores is a variable component. As assured by the hon. Minister for External Affairs while moving this Bill, the Government of India has agreed to sanction the amount as per the requirement and this is why, the Government of West Bengal has accepted this Bill in totality. Once this Agreement is implemented, the fate of nearly 51,000 people would be decided and the long-standing problems between these two countries would be resolved once and for all.

We must not forget that due to partition of the country in 1947, Bengal had sacrificed a huge land and its natural resources. When there was hue and cry due to construction of the Farakka Barrage, West Bengal had shared the Ganga water with Bangladesh at the cost of the Kolkata Port. Now, with this Agreement, we are going to exchange the enclaves to have a permanent solution to the long-standing problems. Sir, we have also given blood during the liberation struggle of Bangladesh. Now Ms. Mamata Banerjee stands for the betterment of relations between Bangladesh and India to the extent it is desired subject to the Government of India taking a stand in extending its helping hand to West Bengal as per the need of the hour and as per the situation demands. Sir, all of us in the Trinamool Congress, believe that once this Agreement is implemented, it would be good for India; it would be good for Bangladesh; it would be good for the people living in the enclaves and it would also be good for India’s relationship with Bangladesh. We sincerely believe that we have achieved a goal, and we will further achieve a goal once this Agreement is implemented in letter and spirit. I strongly support this Bill. Thank you.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I thank you and my leader Amma for giving me this opportunity to speak. The Constitution (One Hundred and Nineteenth) Amendment Bill, 2013 seeks to amend the First Schedule of the Constitution for giving effect to the acquiring of territories by India and transfer of territories to Bangladesh in consonance with the Agreement between India and Bangladesh signed in May, 1974 regarding the demarcation of land boundary and the subsequent Protocol signed in September, 2011.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

The boundary between India and Bangladesh, formerly known as East Pakistan, which was determined by Radcliffe Award of 1947, gave rise to several disputes. Several efforts have been made to resolve these disputes over time. This Constitutional Amendment legalizes the Agreement entered into in 1974 and the Protocol entered into in 2011.

It is understood that the State Governments concerned were closely associated with the process of determination of adverse possession and enclaves. We urge that the Government of India should continuously engage in dialogue and consultation with the concerned State Governments in the actual implementation of the Agreements.

At this juncture, we would like to draw a parallel to the ceding of Katchatheevu to Sri Lanka without any constitutional amendment, which has adversely affected the livelihood of the fishermen of Tamil Nadu. The ceding of Katchatheevu is in total violation of the views given by the Supreme Court in a Presidential reference in the Berubari case. This is why our revered leader Puratchi Thalaivi Amma had filed a case in 2008 in the Supreme Court against ceding of Katchatheevu in her personal capacity as General Secretary of AIADMK. Subsequently, in 2011 the Government of Tamil Nadu impleaded itself as a party in this case since it is the custodian of all the land records. This case is still pending in the Supreme Court of India. The ceding of Katchatheevu is illegal and unconstitutional since no constitutional amendment was made. I urge the Government of India to rescind the Agreement with Sri Lanka entered into in 1974 ceding Katchatheevu.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But this Bill is not on Katchatheevu.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, it is related to Katchatheevu. ...(*Interruptions*)... For giving Bangladesh territory to India and Indian territory to Bangladesh, you have brought this Constitutional Amendment Bill. While ceding Katchatheevu to Sri Lanka, you did not bring such a constitutional amendment. That is why I am mentioning it here. The Agreement has prevented the fishermen of Tamil Nadu from fishing in their traditional waters. Hence a Constitutional Amendment is very important. As our Puratchi Thalaivi Amma has pointed out, on her behalf, I am making this submission.

Now this Constitutional Amendment does not provide suitable rehabilitation and compensation to the people who will be returning from Indian Enclaves in Bangladesh. I urge upon the Government to seriously address this issue and provide an acceptable package of rehabilitation to the people returning to India. The Government of India should also take adequate steps to safeguard the interests of Indian nationals,

who would be staying back in the Bangladesh Enclaves, facilitate them to acquire Bangladeshi citizenship and to get all benefits. In this context, I would urge upon the Central Government and also request the whole House, this august House, to take note of the Tamil Nadu fishermen's problems and also see to it that Katchatheevu is retrieved. The Central Government must bring an Amendment to see to it that the Agreement is annulled and it is declared null and void. I once again thank hon. Amma and thank you, Sir.

श्री शरद यादवः उपसभापति महोदय, इनके बोलने के बाद पूरे सदन में "अम्मा ही अम्मा" होना चाहिए। "अम्मा-अम्मा" कोई खराब बात नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः आप फिर फंस जाओगे। आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादवः वे हमको बर्खास्त नहीं करेंगे।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। यह जो बिल लाया गया है, सन् 1971 की लड़ाई के बाद, सन् 1974 के एग्रीमेंट के बाद 2015 में आज अगर यह बिल इस रूप में आया है, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसके लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से हम लोग इस पर arrive कर सकें और इस पर पहुंच सकें।

इसके साथ-साथ हम कुछ चीजें कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने इसमें जिक्र किया है कि इन्क्लेव हैं, जिनमें 17,000 लोग हैं और किसी में 37,000 लोग हैं, ये लोग अब बंगलादेश के हो जाएंगे, जो लगभग 40 वर्षों से भारत के अंदर भारतीय बनकर रह रहे थे। उनकी जो सीमा थी, जिसमें वे रह रहे थे, वह भारत के अंदर की सीमा थी। अब वे बंगलादेश की सीमा में चले जाएंगे और वे बांग्लादेशी कहलाने लगेंगे तथा जो बंगलादेश से आएंगे, वे भारतीय हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समस्या पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगी। जो लोग वहां से यहां आ रहे हैं या यहां से वहां जा रहे हैं लगभग 40 वर्षों के बाद, तो इसमें से कई ऐसे लोग होंगे, जिनकी पैदाइश ही यहां पर हुई होगी या उनकी पैदाइश वहां पर हुई होगी। वे अब grown up होकर 40-40 वर्ष के हो गए हैं और वे इंडियन सिटीजन्स हैं, अब बंगलादेश के सिटीजन्स होने जा रहे हैं। अभी तक उनको यहां की जो फैसेलिटीज़ मिलती थीं, वे बंद हो जाएंगी और अब बंगलादेश की फैसेलिटीज़ होंगी। जब आप अमेंडमेंट को इम्पलीमेंट करेंगी, तो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है कि उनकी जो सोच है, कई लोगों की धर्म के हिसाब से और चीजों के हिसाब से, इतने वर्षों से वे यहां रह रहे थे और दूसरे तरीके की चीजें चल रही थीं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे साथ में थे, वे अब उधर चले जाएंगे, तो उनको हम एक तरीके से ऐसा न मान लें कि उनका और हमारा कोई मतलब नहीं रह गया है और वे जैसे भी, जहां पर हैं, अब उनके बारे में बंगलादेश वाले जानें। हम लोगों को इस बात को एन्श्योर करना पड़ेगा कि उनका वेलफेयर वहां पर ठीक तरीके से हो रहा है, उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है, उनके लिए वहां पर क्या किया जा रहा है ? जो लोग हमारे यहां पर आएंगे, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन्स भी होंगी, जिनको कि हम लोगों को रेसपेक्टिव सरकारों के साथ मिलकर, उनको इमीडिएट तौर पर देखना पड़ेगा, उनके रिहेबिलिटेशन के

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

लिए देखना पड़ेगा। जो लोग वहां से यहां पर आ रहे हैं, उनको क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं जो लोग बंगलादेश में रह रहे थे, अब वे भारतीय मूल के हो गए और suddenly भारतीय कहलाने लगे, वे इंडियन सिटीजन्स हो गए, तो उनके जो राइट्स वहां पर खत्म हुए हैं, उसके साथ में उनके और राइट्स भी अगर खत्म हो गए, उनकी और चीजें ले ली गईं, तो उनको हम यहां पर किस तरह से सुरक्षित रखेंगे? हम उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इसी तरह से जो हमारे लोग वहां जा रहे हैं, उनके लिए वे लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर बंगलादेश की सरकार के साथ, जो तीनों प्रदेशों की सरकारें हैं, चाहे वह पश्चिमी बंगाल की सरकार हो, चाहे वह असम की सरकार हो, चाहे त्रिपुरा की सरकार हो, इन तीनों सरकारों को मिल कर इसको बहुत ही गम्भीरता के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि सेटलमेंट होने में समय लगेगा। केवल इस एक्ट के पास हो जाने से या कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के हो जाने से सेटलमेंट ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। जमीन का सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन जो इंसान, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके सेटलमेंट और रीसेटलमेंट के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसको दोनों देशों को बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। इन सरकारों को भी इसको बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। हमें यह देखना चाहिए कि इन लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान न होने पाए और उनकी जीविका चले।

इसी के साथ हम इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, as I rise on behalf of my party to support this historic endeavour. I just want to mention that not only the people of our country are suffering, but today, at this present moment, 15 crores of Bengali people are living in Bangladesh and, most importantly, one crore and 50 lakh of Bengali people are basically residents of nowhere. They belong to no country. They are watching this august House, looking at this august House because for decades this problem has not been solved and today is a historic day for these people. I just want to mention the life of these enclave dwellers. I remember, when I was in the fifth standard in 1990, I first heard the word 'Chitmahal'. This is a Bengali word for enclave. At that period, in 1992, we had the Teen Bigha corridor. I don't want to go into that. I have been a lot many times to these areas of Cooch Behar. Sukhenduda had already pointed it out. Majority of the people of Cooch Behar in our State are living in Chitmahal enclaves. The life of the enclave dwellers is, basically, miserable. They are practically men of nowhere land. They live a life of abject misery, devoid of basic necessities and, most importantly, without any national identity. Ever since Bangladesh achieved its independence, – the hon. Minister had pointed it out – I don't want to go into the history that the most important thing is that there are no physical lines, there is no demarcation that separates enclave dwellers from the people living in the mainland of Bengal and Bangladesh. The communities have the same culture, same food habit, same race, and most importantly, the same mother-tongue. The only difference is the realization that they stay in a

'foreign land'. Many people in these enclaves are going through an identity crisis as they were originally from Bangladesh, but celebrate occasions like Independence Day and Republic Day of our country. Life is often dangerous for these enclave dwellers. We have seen that because each time they step out of the enclaves they can be arrested by Indian Border Security Forces or the Bangladeshi Rifles. This is happening continuously. These enclaves have no basic amenities. Parents send children to schools on the Indian side. That too is only possible when their Indian friends agree to pose as their guardians on paper. This has been happening for the last four decades. Enclaves don't have hospitals. Pregnant women face problems as doctors on the Indian side of the border refuse to admit mothers in labour. In the last six months there are five cases where mothers have died in labour pain in these enclaves, in these Chitmahals. The enclaves are inhabited mostly by Muslims who are left bereft of a proper place of worship. Accountability, jurisdiction and administration are completely missing and that is why cultivation of marijuana has been going on in these enclaves for a long period of time. These enclaves remain, till date, an enigma. It has been mentioned that the borders of the Indian States of Assam, Bengal, Meghalaya and Tripura will be affected. Now the long overdue exchange, Sir, will endeavour basically to harmonise India's land boundaries and, more importantly, improve the lives of all residents of the enclaves. People are saying and I was reading in the newspapers also that if one were to compare the area of land that India receives in this exchange to what India gives away, the former falls short of the latter by 10,000 acres. But, Sir, while it may appear like a loss of territory, such loss is illusory. Humanity will win. Today when this august House unanimously adopts this amendment, humanity will be championed. Sir, I belong to a refugee family. When my father was in class V, he came to India in 1946. We have been living in refugee colonies in and around Calcutta. When Dr. Karan Singh was speaking, I was remembering, I was not born at that time, but in the refugee colonies in and around Calcutta, 1971 Liberation War was going on. Today, the people of Bangladesh, as they recognize and remember forever Mrs. Gandhi, our late Prime Minister, who led that liberation struggle, also forever remember – particularly the people from these enclaves – Madam Sushma Swaraj.

I remember Mr. Sheikh Mujibur Rahman. The name of Mr. Mr. Mujibur Rahman was mentioned here by Dr. Karan Singh. It was Mr. Mujibur Rahman -- we are all Bengali people in that part -- who fought against Pakistani regime for language. Mr. Mujibur was a fiery speaker. At that time, Mr. Mujibur said,

(*Hon. Member spoke in Bengali*)

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair*]

[Shri Ritabrata Banerjee]

I am a refugee; I come from a refugee family. This is an Eastern Bengali dialect. This means that Pakistani snatchers are trying to snatch away my mother-tongue and that mother-tongue, for centuries, has been spoken by my fathers and my ancestors.

So, Sir, I want to take this opportunity. This is a very historic occasion, because partition was not done by the people of Bengal. But the people of Bengal have suffered due to partition. We have suffered due to partition for generations. But, today, when there is an opportunity, I would say that this is a historic opportunity. This is really a historic occasion.

Again, on behalf of my party, I would say that today the only champion is humanity. It is a remarkable endeavour. So, I once again support this historic endeavour.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to express my view and my party's view on the Bill.

Sir, I express my thanks the hon. External Affairs Minister of our country, Mrs. Sushma Swaraj, for her wise diplomatic endeavour in preparing this Bill and placing it before the House. I also express my thanks to the leaders of the major opposition party and other leaders to help her in arriving at such a historic agreement.

Sir, I am adding a point to what my previous speaker was saying. After formation of Pakistan, on the basis of religion, both parts of Pakistan – West and East – were fought. In 1948, the Government of Pakistan declared that the State language of Pakistan would be Urdu. So, Urdu language was introduced in East Pakistan – now Bangladesh – as the language of that part of Pakistan and the Bengali students, youth, intellectuals rose in revolt. Ultimately, this movement took a very wide and extensive turn and Pakistan tried to suppress that movement. The movement was based on language. It was love for their mother-tongue. In order to save that mother-tongue, there was a revolt started in 1948 and went up to 1952. In 1952, Pakistan was compelled to declare Bengali as the second language of Pakistan and Bengali was introduced in East Pakistan. It was history. Since then, the movement to have a separate and independent country started in Bengal. It was based mainly to save their culture, it was to save their language and it was to save their economic interest. Sir, in 1905, Lord Curzon, could not divide Bengal at that time and the Banga-Banga Andolan was the greatest andolan and, in fact, it was the impetus for the freedom movement of our country. But, on the basis of religion, this country was divided. And, Sir, as you know, we had played a very big historic role to liberate Bangladesh from the dictatorship of Pakistan. Sir, it is that Bangladeshi people who are very, very grateful to us and a very friendly

relationship is there. After the formation of Bangladesh, there are ups and downs in the history of Bangladesh. Sometimes, the anti-Indian Governments came there, who were against democracy and secularism. But, now, the present Government is a friendly Government and we should use prudence on our part, use wisdom on our part. We must seize this opportunity to settle the border issue and strengthen the cooperation with the Bangladeshi people.

Secondly, it is a great lesson for our other neighbours also. They too can develop a goodwill to establish good relationship with our country. India has showed them that the heart of India is so large. We are the lovers of peace and we want to have a good relationship with our neighbours. India has proved this fact. Others also should follow the same way to settle their issues. Mr. Sharad Yadav has expressed his desire of the great fighter of the freedom movement of our country, Dr. Ram Manohar Lohia, who wrote against India's division. He expressed the desire that unless Pakistan, Bangladesh and India federation is formed, the interests of these countries could not be fulfilled.

I again express my appreciation to Mrs. Swaraj for her diplomatic wisdom and I wish her success in solving relevant problems after the Agreement is signed. Thank you very much.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you. I stand here to support this Bill. While supporting this Bill, I would like to make a certain observations. In a country like ours, foreign policy matters can't be the prerogative of one Government of the day. The foreign policy matters, particularly, such issues, must be settled on the basis of a national consensus. Now I find there is a national consensus for this Bill. That is why I stand to support this Bill. In fact, the States of West Bengal, Meghalaya, Tripura and Assam have been taken into confidence and they have been taken on board. The people of these States have given their consent and support to this Bill and this is a good thing. Now, the Government should follow it up with a proper policy for resettlement and rehabilitation of the Indian people on either side.

Having said that, Sir, now I draw the attention of the Minister, Sushmaji. Madam, when you were referring to Assam, you said that the Prime Minister informed you that certain things could be renegotiated. In fact, with Bangladesh, we had the Agreement in 1974 – the Indira Gandhi-Mujibur Rahman Agreement. In the same year, Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister entered into a maritime boundary line Agreement with Sri Lanka. That is a contentious issue. The people of Tamil Nadu were not taken into confidence. The State Assembly, also, I don't think was taken into confidence. In such a situation, my pointed question is: Will

[Shri D. Raja]
you be with an open mind demand renegotiation of the Katchatheevu Agreement? It is a bilateral Agreement. It is not in our interest. It has not served the purpose for which that Agreement was entered into. In such a situation, will you ask the Sri Lankan Government for renegotiating the Katchatheevu Agreement? It is a parallel. In 1974, this Agreement was signed. The same year, maritime boundary line Agreement was done with Sri Lanka. It is causing problems. India has borders with several countries. We have problems with China but the talks on border dispute are done at a higher level, a sensitive level, and I understand. We wish the Indo-Chinese border talk ends in an acceptable solution to both the countries. In the same way we have problems with Pakistan. We have problems with several neighbours, and with Sri Lanka also we have problems. That is why, while supporting this Bill, I urge upon the Government, you consider, asking for a renegotiation of Katchatheevu Agreement because you cannot delay it further and the Southern Border will be very sensitive and tense, and peace will not be there. Always we have very tense atmosphere in Southern border. That is why the Government should have an open mind to address the concerns of the people of Tamil Nadu. I urge upon the Central Government, when you talk of cooperative federalism, at least, respect the unanimous Resolution passed by Tamil Nadu Assembly in this regard. They have passed the Resolution. I am not counter-forcing this Bill with Tamil Nadu issue, but I am drawing it parallel. While supporting this Bill, when you propose this Bill for adoption, you should take the people of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura into confidence. Tamil Nadu people were not taken into confidence when that agreement was signed. That is why it is an open question and the Centre should understand the strong emotions, the problems of Tamil Nadu people and consider renegotiation of that agreement. So Madam, I support this Bill and there is a national consensus, and once again I wish you all the best for bringing this Bill. Even though it was Salman Khurshid's Bill, you have brought this Bill. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri P. Bhattacharya.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I support the Constitution (Amendment) Bill because this Bill is essential. It was really essential for a long time to settle the dispute between Bangladesh and India. Non-implementation of 1974 land boundary agreement between India and Bangladesh has led to the perpetuation of land boundary dispute between the two countries and also led to continuation of the miserable plight of the people living in the enclaves of both the sides. Sir, I had the opportunity to visit some of the places such as Cooch Behar, Jalpaiguri and what is known as Tin Bigha, etc.

Sir, when I talked to a college girl, she said that she had to leave around

6.30 a.m. for a Balurghat college and comes back in the midnight. It was really a miserable situation for them. Practically, lakhs of people have no land. Whether they are Bangladeshi or Indian, they cannot claim. First they were the refugees when the partition took place. After that when they were staying in all these enclaves, again they were refugees or their colour has not yet been cleared, either by Bangladesh or India. Bangladesh has already changed their decision and as per the law, they have come forward, but unfortunately we were not prepared to transfer the land. But today, we have the opportunity to pass this Amendment. India will get 2,77,738 acres of land and transfer 2,26,768 acres to Bangladesh. As a result, those who are staying in both the sides will be benefited. Though 90 per cent of the fencing along the India-Bangladesh border has been completed but in several places, in West Bengal, Meghalaya, Mizoram, fencing has not yet been completed because the land acquisition did not take place. Sir, such is the case in Bengal. At 38 places, it has not yet been completed. In Meghalaya, it is 88 kilometres, and in Mizoram, it is 60 kilometres. Now, I feel that this problem will be settled and the border fencing will also be completed.

Sir, through you, I would like to place before the hon. Ministers some of the problems which I have seen in that area. A number of Indians who are living in the Indian enclaves in Bangladesh territory would be adversely affected as they would lose their claim to Indian citizenship. It is the duty of both the countries to minimize the 'humanitarian costs' of the Pact. The Government of India should discuss with the Government of Bangladesh the steps that would be taken to ensure adequate safeguards for the Indian nationals who would be staying back so that they are not discriminated against in any way after having acquired Bangladeshi citizenship.

Sir, another thing is, the hon. Minister has already said that for the resettlement, some amount of money will be allotted to the Government of West Bengal. I congratulate the hon. Minister for that. But, at the same time, I would like to point out two things. One is, some people will be losing their land. Definitely, they will be losing their land. ...(*Time-bell rings*)... I want to know from the hon. Minister whether the Government has any planning to give them compensation. The second thing is, when the people are transferred from one land to another land, whether they will be properly protected. The problem that would be faced by the people for admission of children in different institutions should be looked into by the Government. I feel that the hon. Minister would be talking to the State Government so that they do not face any such problem. Sir, one student who is presently staying in Bangladesh will now be coming in Balurghat, and how he or she would get the admission there should be properly taken care of by the Government. Although these are very small things, but it would magnify in a different way in the base level. So, I request the hon. Minister to kindly look into this matter. ...(*Time-bell rings*)...

[Shri P. Bhattacharya]

Lastly, Sir, with this amendment, I am extremely happy. It is because we are from West Bengal, speaking in Bengali, and they are also speaking in Bengali. The culture is the same. So, we have a lot of emotional attachment with Bangladesh. But, with this amendment, I feel, the distance which was created earlier will now be removed, and we will be much nearer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Very good. Thank you.

SHRI P. BHATTACHARYA: Lastly, Sir, I salute our departed leader, Indira Gandhi Ji, who stood behind the millions of Bangladeshis when they fought for the liberation of Bangladesh. It is the planning and design of the Congress to bring this amendment. It is the dream of Indian National Congress. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. Now, Shri Sanjay Raut.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, मेरी पार्टी शिव सेना इस बिल का पूरी तरह से समर्थन कर रही है। This is a long-pending issue between Hindustan and Bangladesh. मैं मानता हूँ कि यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण हो रहा है, हमारे यहां भूमि अधिग्रहण क़ानून अब तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन दो देशों में भूमि अधिग्रहण हो रहा है, मुश्किलें खत्म हो गई हैं और बंगलादेश तथा हमारे देश के बीच लगभग 1947 से जमीन अदला-बदली का जो मामला था, वह सुलझ गया है।

हमने प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को बुलाया, जो एक अच्छा संकेत था। बाद में, विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज जी ने अपनी पहली यात्रा बंगलादेश की की, जिसका संकेत यह था कि हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। सर, बंगलादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, हम बंगलादेश के जन्मदाता भी हैं। बंगलादेश को हमने जन्म दिया है, उसके लिए हमने जमीन दी है, हमने बलिदान दिया है, हमने खून बहाया है। उसमें इंदिरा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे हम भूल नहीं सकते। लेकिन सर, जब से वहां हमारे सच्चे मित्र शेख मुजीबुर्रहमान साहब की हत्या हुई, तब से वहां की राजनीति बदल गई, वहां के इमोशंस बदल गए। तब से वहां की राजनीति बदल गई, वहां के इमोशन बदल गए। जब भी सरकारें बदलती रहीं, तो हिन्दुस्तान के साथ उनके संबंध कभी अपस् एंड डाउन होते रहे। सुषमा जी ने अपने निवेदन में पूरी बात कही है कि यह कितना पुराना इश्यू है 1947 के साथ, फिर 1974 आ गया तथा फिर 2011 आ गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि इतने सालों बाद नई सरकार में यह मसला सुलझ गया है और यह सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। बंगलादेश के साथ जो हमारी सीमा है, वह पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, त्रिपुरा से जुड़ी है, मेघालय से जुड़ी है, असम के साथ जुड़ी है। वैस्ट बंगाल के नेताओं ने विरोध भी किया था। उनके मन में शंका थी अगर यह सीमाओं के अदल-बदल का जो विषय है उसमें हम अपनी अखंडता के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सभी राज्यों ने मान्यता दी है और हम एक अच्छा कदम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि हमने जो

पड़ौसियों को वायदे किए हैं, उनको निभाने की भी हम कोशिश करते हैं। सर, दोनों देशों की लगभग 4,096 किलोमीटर की लम्बी सीमा है और आपने बताया लगभग 162 एन्क्लेव्ज हैं। उनमें भी अब अदला-बदली हो जाएगी। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, केंद्र सरकार एक निर्णय लेने के नजदीक जाती है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारी रीजनल पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाती है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बंगलादेश का मुद्दा हो और भी स्टेट्स हैं। हमारे संविधान में साफ तरह से कहा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वह केंद्र का अधिकार है। लेकिन उसमें राज्यों की दखलंदाजी अब इस तरह से बढ़ गई है कि सालों-साल अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, वे खत्म नहीं होते हैं। मैं मानता हूं कि जो देश के राज्य हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगे हैं उनकी अलग समस्या होती है। जैसे महाराष्ट्र है, कर्णाटक है, मध्य प्रदेश है। उनको समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, चाहे कश्मीर हो, उनकी एक अलग समस्या होती है, उनके अलग प्रश्न होते हैं और ये जो स्टेकहोल्डर्स हैं, उनकी सबकी बात सुननी पड़ती है। इस बिल के बारे में सरकार ने सब की बात सुनी है और जैसा सुषमा जी ने कहा, यह विन-विन-विन सिचुएशन है। ...(**समय की घंटी**)... सर, 1947 से यह मामला चल रहा है, कम से कम दो मिनट तो दीजिए। जब आप यहां बैठते हैं तो 5 मिनट मांगते हैं और वहां बैठते हैं तो हमें एक मिनट देने की बात करते हैं। यह जो अदला-बदली होती है, तो यह कुर्सी ही ऐसी है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, please do not waste your time.

श्री संजय राउत : असम की असेंबली के अभी लास्ट सेशन में एक स्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। वहां के गृह मंत्री ने रिप्लाई में कहा कि आज हमारे असम की कुछ जमीन एडवर्स पोजिशन में है, बंगलादेश के कब्जे में है। जब इस प्रकार का उत्तर असम की असेंबली में दिया जाता है तो जरूर वहां एक रीजनल पॉलिटिक्स खड़ी हो जाती है। प्रश्न उठता है कि यह एडवर्स पोजिशन की जो बात है, यह लैंड एग्रीमेंट में पूरी होगी या नहीं। तो वहां के बहुत संगठन हैं, हमने देखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो कुछ देर तक उसकी भी राजनीति होगी, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा सेंसेटिव राज्य है, वहां हमेशा हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ता है। सर, दूसरी बात है कि हम इस बिल को इसलिए भी समर्थन दे रहे हैं कि हमें लगता है कि यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बंगलादेश के साथ खत्म हो जाएगा। बंगलादेश के साथ लगे हमारे बॉर्डर पर फेंसिंग आ जाएगी और सालों-सालों से वहां से जो अवैध रूप में बंगलादेशी हमारे यहां घुसपैठ ...(**व्यवधान**)... वह तो आना ही चाहिए इसलिए तो हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जो लाखों बंगलादेशी घुसपैठ कभी असम से ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : आज अगर कर रहे हो तो विवाद मत करो। आज खुशी-खुशी बात करो।

श्री संजय राउतः मैं खुशी-खुशी बात कर रहा हूं कि हमें पूरा विश्वास है अब यह घुसपैठ हम रोक सकेंगे, इसे कानूनन रोक सकेंगे, क्योंकि यह महानगरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यह सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक बार सरकार का और सुषमा जी का अभिनंदन करता हूं कि आज एक अच्छा कानून हम राष्ट्रहित में पूरी सहमति से मंजूर करने जा रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

First of all, I congratulate the Minister for bringing this Bill, the Constitution (Amendment) Bill, although after a lot of confusion. In the last few days in my State, Assam – not in the last few days rather in the last few months – there was a lot of confusion whether the Bill will come or whether the Bill will come excluding Assam, because, in November, when the hon. Prime Minister visited Assam, he said that it would be beneficial for the country, beneficial for Assam but, again, a Cabinet decision come that the Bill would come but Assam would be excluded. Then, in the last few days, there were some developments and it went up to a situation where the Assam Chief Minister had to shoot up a letter to the Union Ministry to take up this Bill including Assam. I really congratulate the hon. Minister that she has brought the Bill and she has not excluded Assam. Sir, history was created, in 1971, when, under our beloved leader, Shrimati Indira Gandhi, Bangladesh was created and, subsequently, in 1974, the Agreement was signed. Another history was created when the protocol was signed on 6th September, 2011 by our the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Sir, we are witness to it, the country is witness to it. We all know about the problems of those people who are living in the enclaves. Sir, basically, the agreement was for demarcation of boundary, exchange of enclaves and adverse possession. These three were the basic issues and today the Bill has come, dealing with those three basic issues. The demarcation of boundary has not been complete in some areas, particularly, in some areas of Assam and today this Bill will solve that problem. As a result of the protocol, the Radcliffe Line is demarcating the India-Bangladesh border in Assam sectors, namely, in three places, Lathiltilla-Dumabari in Karimganj sector, the Boroibari area in Dhubri sector and Pallathal area in Karimganj sector. Sir, we know what the life of those people who are living in those enclaves is. They are citizens of neither Bangladesh nor India. They are not governed by the rule of law of either country. They were living – as one of our hon. speakers has already mentioned – as if they were in jail and they have no identity. No Government schemes reach there; no Government benefits reach there; and no welfare schemes reach there. So, the life which the enclave dwellers are living up till now is below human. So, this Bill will do away with those inhuman conditions in which these enclave dwellers are living and they will get some identity. Sir, there is a confusion – one of our Members has already mentioned it – because the National Anthems of both the countries, India and Bangladesh, are written by one person. So the enclave dwellers do not know which National Anthem they will have to sing. Now, with

this Bill and the exchange of enclaves, this problem would be done away with and a total of 714 acres of area would be a part of India.

Sir, as the hon. Minister has also mentioned, there is some unhappiness amongst a section of the people in my State because we would be losing 268.4 acres of land in these enclaves. Sir, I too am unhappy over losing these 268.4 acres of land, but, at the same time, I am also happy that we would gain 445.6 acres of land, which would be a net gain in land area for Assam.

Sir, the basic issue that has agitated the minds of the people of Assam is the boundary issue. Successive Governments have tried their best to secure the Indo-Bangladesh border and border fencing has been done. But I am very sorry to say that this border-fencing has not been completed as yet. I know that there are some problems. There are problems due to non-demarcation of the boundary in certain areas. But, with this Bill coming up, I hope border-fencing will be completed and life within the boundary will be secure. ...(*Time-bell rings*)...

Sir, I have to mention one thing more. I will take just one minute, Sir. For border fencing 150 yards of land area inside the Indian territory has been demarcated. So, Indians who have land adjacent to the boundary, have no right over that 150 yards of land in Indian territory; they can't use that land. Although that land belongs to India, people living along the border cannot use that land. This is a very serious problem. I hope, the hon. Minister will look into this issue seriously. She has mentioned about renegotiation. I hope these issues will be taken up, under her guidance, at the time of negotiations of the border fencing.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): थैंक यू, सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बिल को लेकर हाउस में आज जिस तरह से सब उल्लासित हैं, वहीं हमारी स्टेट असम में इसको लेकर थोड़ी चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लगातार वहां पर आज भी आंदोलन हो रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से वहां के लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया, वहां के लोगों से अच्छी तरह से कन्सल्ट नहीं किया गया। मुझे अच्छा लगता, अगर वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स को देखकर वहां की सभी पार्टियों और संगठनों के साथ बात करके इस बिल को यहां लाया जाता। हर समय केंद्रीय सरकार जब भी उस तरफ का कोई फैसला लेती है, तो नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को थोड़ा सा संदेह होता है, दुख होता है कि उस बारे में जानने के लिए सरकार उन्हें मौका नहीं देती है। उनका मानना है कि उस बारे में हमारा जानना भी जरूरी है, लेकिन सरकार हमारे सेंटीमेंट्स को नहीं समझ सकती है। अगर वहां के लोगों से अच्छी तरह से बात की जाती, तो जैसी यहां इस बिल को लेकर सबने उम्मीद रखी है, शायद असम के लोग भी रखते। मेरा इतना कहना है कि अभी जितनी लैंड हेंडओवर करनी है या बंगलादेश से मिलनी है, इसके अलावा भी हमारे कुछ लोग बंगलादेश में हैं, जो कि हर समय हमारे देश से एक उम्मीद लेकर जी लेते हैं। जब 1947 में रेड क्लिफ बाउंड्री द्वारा किया गया था, तब ही गलत हुआ था। शायद आप लोगों को पता होगा, त्रिपुरा का कुछ इलाका, मिजोरम का कुछ इलाका, मेघालय का कुछ इलाका गलती से बंगलादेश में चला गया

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

था। महोदय, यहां के जो लोग उस समय गलत बाउंड्री की वजह से वहां हैं, वे वहां के लोगों के साथ नहीं मिल सकते। वे यहां के ओरिजनल आदमी हैं, ट्राइब्स हैं, इंडिजीनस हैं। उनकी कला, भाषा, संस्कृति और विचारधारा दूसरों के साथ नहीं मिलती है। इस प्रकार के दो-तीन लाख लोगों की पूरी आबादी वहां है। त्रीपुरी, गारो, मिजो और मणिपुरी आदमी वहां हैं। वे लोग हमारे ऊपर ही उम्मीद कर के जी रहे हैं। इसलिए हमारे देश के नेता और अफसरों की यह जिम्मेदारी है कि वे उनके बारे में सोचें।

महोदय, उन लोगों के जितने भी रिलेटिव्स हैं, वे खाग्रासोरी और रंगामाती एरिया में रहते हैं और ये एरिया इंडिया की सीमा से लगे हुए हैं। उन्हें अपने रिलेटिव्स के पास आने के लिए हमारी भारतीय एम्बैसी कभी-कभी वीज़ा नहीं देती है। इन चीजों को भी देखना जरूरी है, ताकि वे लोग आसानी से आ जा सकें। इस प्रकार यदि सीमाओं को ठीक करने के साथ-साथ इन इलाकों का भी ध्यान रखा जाता, तो बहुत अच्छा होता और एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता था। अब इस सीमा को ठीक करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर पर फेंसिंग होगी। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम घुसपैठियों और इल्लीगल मायग्रेंट की है। मैं इस सदन में इन चीजों को भी ठीक करने का अनुरोध करता हूं। केवल सीमाएं ठीक करने से, बंगलादेश के साथ अच्छा संपर्क या फ्रेंडशिप कायम करने से ही काम नहीं चलेगा। वहां से जो लोग इल्लीगली इंडिया के असम या पश्चिमी बंगाल में आ जाते हैं, उन्हें भी रोकने की व्यवस्था करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से जितने भी लोग आना चाहते हैं, वे परमिट लेकर हिन्दुस्तान आएं और काम होने के बाद वापस जाएं। इसके कारण काफी समय से वहां लोग संकट में चले आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं की ओर भी सरकार ध्यान दे।

महोदय, इस बिल के पास होने के बाद, कल से शायद बॉर्डर इलाके में कुछ रीहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कल से ही बॉर्डर एरियाज में कुछ व्यवस्था करे। वहां के जो रैवेन्यू सर्किल ऑफिस हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों, जो वहां के लोगों को विश्वास दिला सकें कि इस बिल के जरिए किसी का भी हार्म नहीं होगा।

महोदय, मैं अन्त में अनुरोध करना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट इसलिए ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि दूसरे देशों की सीमाएं—जैसे चायना, भूटान, म्यानमार और बंगलादेश उससे लगी हुई हैं।

SUBMISSION RE. RETRIEVING KACHCHATHEEVU

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise on behalf of the DMK Party to support the Bill which has been brought in to amend the First Schedule of the Constitution to give effect to an Agreement signed by India and Bangladesh in the year 1974 which involves issues relating to demarcation of undemarcated boundaries, adverse position of territories and exchanges of enclaves. Sir, what is an enclave? It is a territory belonging to a country and is entirely